TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/25, dated 31.03.2006, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In clause (2) of proviso to the said notification, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25C] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/ टैक्स/एचक्यू/95/25 दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा 01.04. 2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''25,000 रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''32,000 रु.'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

> [सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25सी] राज्यपाल के आदेश से,

> > डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव